अध्याय– V

अन्य कर प्राप्तियाँ

कार्यपालक सारांश

इस अध्याय के हमारे मुख्याकर्षण	इस अध्याय में हमने अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाए गए आरोपण नहीं किये जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किये जाने/कम वसूली आदि से संबंधित अवलोकनों से चयनित ₹ 138.74 करोड़ से सन्निहित दृष्टांतस्वरूप कुछ मामलों को रखा है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमावली/सरकारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। यह चिन्ता का विषय है कि पूर्व में भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निरंतर हम इन चूकों को इंगित करते रहे हैं परन्तु हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने तक विभाग ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की थी।
कर संग्रहण में वृद्धि	वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों में भू–राजस्व का अंशदान 1.33 प्रतिशत से 1.65 प्रतिशत के बीच था, यद्यपि कर राजस्व संग्रहण में पिछले वर्ष से वृद्धि की प्रवृत्ति थी। पुनः, मुद्रांक एवं निबंधन फीस से प्राप्तियाँ वर्ष 2007–08 के ₹ 654.15 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 1,480.07 करोड़ हो गई हालाँकि, 2010–11 और 2011–12 के दौरान बजट अनुमान की तुलना में कर संग्रहण में कमी हुई।
विभाग द्वारा हमलोगों के पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए अवलोकनों से संबंधित काफी कम वसूली	वर्ष 2008–09 से 2010–11 के अवधि के दौरान हमलोगों ने भू–राजस्व से संबंधित 589 मामलों में ₹ 180.19 करोड़ के प्रभाव से सन्निहित आरोपण नहीं किये जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किये जाने/कम वसूली, राजस्व हानि आदि मामले इंगित किये थे। विभाग/सरकार ने इनमें से ₹ 102.87 करोड़ से सन्निहित 426 मामले में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और ₹ 13.80 लाख की वसूली की गई। ₹ 102.87 करोड़ से सन्निहित स्वीकृत मामले के विरूद्ध ₹ 13.80 लाख की नगण्य वसूली (0.13 प्रतिशत), सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की तत्परता में अभाव को संसूचित करता है। वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि के दौरान हमलोगों ने मुद्रांक एवं निबंधन फीस से संबंधित 211 मामले में ₹ 43.32 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित आरोपण नहीं किये जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किये जाने/कम वसूली, सरकारी राजस्व का अवरूद्ध रहना आदि मामले को निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित किया था। विभाग/सरकार ने ₹ 37.81 करोड़ से सन्निहित 195 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया जो पूर्व के वर्षों में भी इंगित किये गये थे और अबतक ₹ 1.64 लाख की वसूली की थी। ₹ 37.81 करोड़ से सन्निहित स्वीकृत मामले के विरूद्ध ₹ 1.64 लाख की नगण्य वसूली (0.04 प्रतिशत) सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की तत्परता में अभाव को संसूचित करता है।
वर्ष 2011–12 के लिए ईकाइयों में किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम	वर्ष 2011–12 में हमलोगों ने भू–राजस्व से संबंधित 29 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 144.14 करोड़ से सन्निहित 140 मामलों में नहीं/कम वसूली, राजस्व हानि और अन्य त्रुटियाँ पाया जबकि मुद्रांक एवं निबंधन फीस से संबंधित 33 लेखापरीक्षित ईकाइयों में ₹ 8.85 करोड़ से सन्निहित 120 मामलों में हमलोगों ने नहीं/कम वसूली, राजस्व हानि एवं अन्य त्रुटियाँ पाया।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि तंत्र में कमजोरियों का पता लगे तथा हमारे द्वारा बताये गए चूकों को भविष्य में टाला जाए। कम–से–कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है।

अध्याय–V : अन्य कर प्राप्तियाँ

क : भू–राजस्व

5.1.1 कर प्रशासन

भू–राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण अधिनियमों एवं नियमावली[1] के तहत् राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शासित होता है। शीर्ष स्तर पर प्रधान–सचिव–सह आयुक्त शासकीय प्रधान होते हैं और प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, उपसमाहर्त्ता और अंचलाधिकारी क्षेत्र स्तर पर उनको सहायता प्रदान करते हैं। अंचल कार्यालय प्राथमिक ईकाई है जो भू–राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण के लिये उत्तरदायी है।

5.1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान बजट आकलन तथा भू–राजस्व से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+)/ ह्रास (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों (स्तम्भ–6) की तुलना में वास्तविक कर प्राप्तियों (स्तम्भ–3) की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2007–08	74.67	82.10	(+) 7.43	(+) 9.95	5,085.53	1.61
2008–09	74.72	101.74	(+) 27.02	(+) 36.16	6,172.74	1.65
2009–10	76.22	123.96	(+) 47.74	(+) 62.63	8,089.67	1.53
2010–11	122.17	139.02	(+) 26.85	(+) 23.94	9,869.85	1.41
2011–12	125.20	167.49	(+)42.29	(+) 33.78	12,612.10	1.33

(श्रोतः राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति (विस्तृत), वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों में भू–राजस्व प्राप्तियाँ का योगदान 1.33 प्रतिशत से 1.65 प्रतिशत के बीच था। भू–राजस्व के संग्रहण में वर्ष 2007–08 के ₹ 82.10 करोड़ से वर्ष 2011–12 में ₹ 167.49 करोड़ की 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में बजट अनुमान वास्तविक संग्रहण से लगातार कम था।

सरकार/विभाग को राज्य की कुल कर प्राप्तियों में भू–राजस्व प्राप्तियों का योगदान बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों (₹ 12,612.10 करोड़) में भू–राजस्व प्राप्तियाँ का योगदान निम्न पाई चार्ट दर्शाता है:

[1] बिहार टीनेन्सी अधिनियम, 1908; बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956; बिहार एस्टेट (खास महाल) हस्तक, 1953।

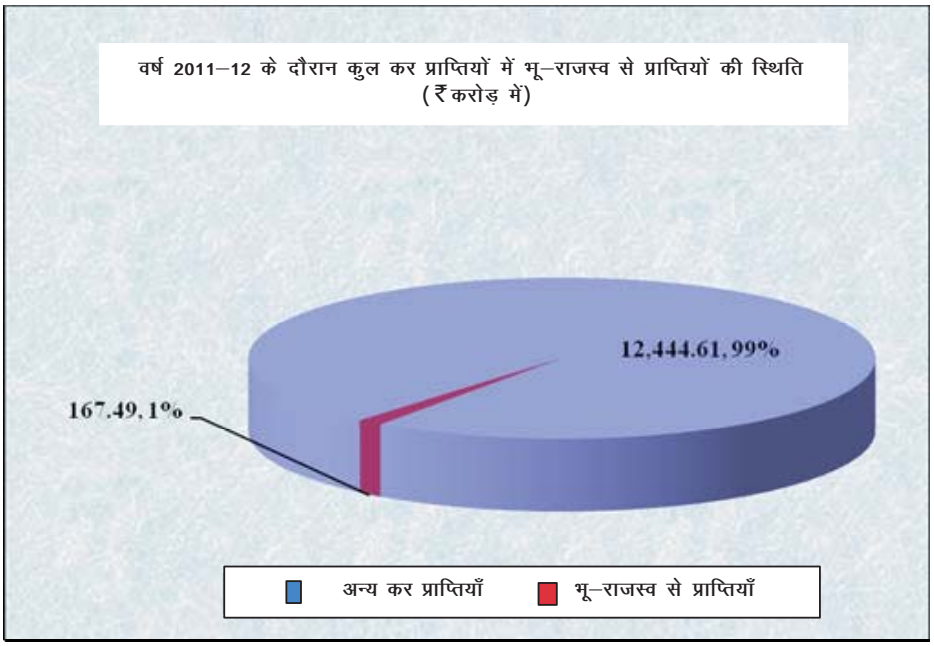

5.1.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

राजस्व प्रभाव

वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि के दौरान, हमने अपनी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से राजस्व का आरोपण नहीं/कम किए जाने, नहीं/कम वसूली किए जाने, हानि इत्यादि में ₹ 180.19 करोड़ के राजस्व से शामिल 589 मामले इंगित किए। इसमें से विभाग/सरकार ने ₹ 102.87 करोड़ से सन्निहित 426 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया जो पूर्व के वर्षों में भी इंगित किये गये थे एवं अबतक सात मामलों में ₹ 13.80 लाख की वसूली की। विस्तृत विवरणी निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2008–09	59	145	83.08	140	57.37	शून्य	शून्य
2009–10	61	319	47.85	285	45.50	7	13.80
2010–11	46	125	49.26	1	0.0032	शून्य	शून्य
कुल	**166**	**589**	**180.19**	**426**	**102.87**	**7**	**13.80**

स्वीकृत मामलों में सन्निहित ₹ 102.87 करोड़ के विरूद्ध ₹ 13.80 लाख की नगण्य वसूली (0.13 प्रतिशत), सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की ओर से तत्परता का अभाव संसूचित करता है।

हम अनुशंसा करते हैं कि कम से कम स्वीकृत मामलों में, सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार उपयुक्त कदम उठाये।

ख : मुद्रांक एवं निबंधन फीस

5.2.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899; निबंधन अधिनियम, 1908; बिहार मुद्रांक नियमावली, 1991 तथा बिहार मुद्रांक (लिखितों के अवमूल्यन का निवारण) नियमावली, 1995 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। यह निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग के द्वारा प्रशासित है, जिसके प्रमुख निबंधन महानिरीक्षक होते हैं। निबंधन विभाग के सचिव, जो मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं, के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन विभाग कार्य करता है। मुख्यालय स्तर पर महानिरीक्षक निबंधन की सहायता के लिए एक संयुक्त सचिव, दो उप महानिरीक्षक और चार सहायक महानिरीक्षक होते हैं। पुनः प्रमंडलीय स्तर पर नौ निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक होते हैं। 38 जिला निबंधक, 38 जिला अवर निबंधक और अवर निबंधक, जिला/प्राथमिक इकाई स्तर पर मुद्रांक और निबंधन फीस के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

5.2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान बजट आकलन तथा मुद्रांक एवं निबंधन फीस से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+)/ ह्रास (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों (स्तम्भ–6) की तुलना में वास्तविक कर प्राप्तियों (स्तम्भ–3) की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2007–08	720.00	654.15	(–) 65.85	(–) 9.15	5,085.53	12.86
2008–09	581.02	716.19	(+) 135.17	(+) 23.26	6,172.74	11.60
2009–10	750.00	997.90	(+) 247.90	(+) 33.05	8,089.67	12.34
2010–11	1,215.00	1,098.68	(–) 116.32	(–) 9.57	9,869.85	11.13
2011–12	1,600.00	1,480.07	(–)119.93	(–) 7.50	12,612.10	11.74

(श्रोतः राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति (विस्तृत), वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि मुद्रांक और निबंधन फीस से प्राप्ति वर्ष 2007–08 के ₹ 654.15 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 1,480.07 करोड़ हो गई। हालाँकि, वर्ष 2010–11 और 2011–12 की अवधि के दौरान बजट अनुमान की तुलना में संग्रहण में कमी पाई गई थी। पुनः, वर्ष 2009–10 से राज्य की कुल कर प्राप्तियों में मुद्रांक और निबंधन फीस की वास्तविक प्राप्ति की प्रतिशतता में ह्रास की प्रवृति दर्शाता है, यद्यपि 2011–12 में पूर्व के वर्ष (2010–11) से वृद्धि हुई।

मुद्रांक और निबंधन फीस की आकलित प्राप्ति तथा कुल कर प्राप्तियों के साथ–साथ प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्न ग्राफ में दिया गया है:

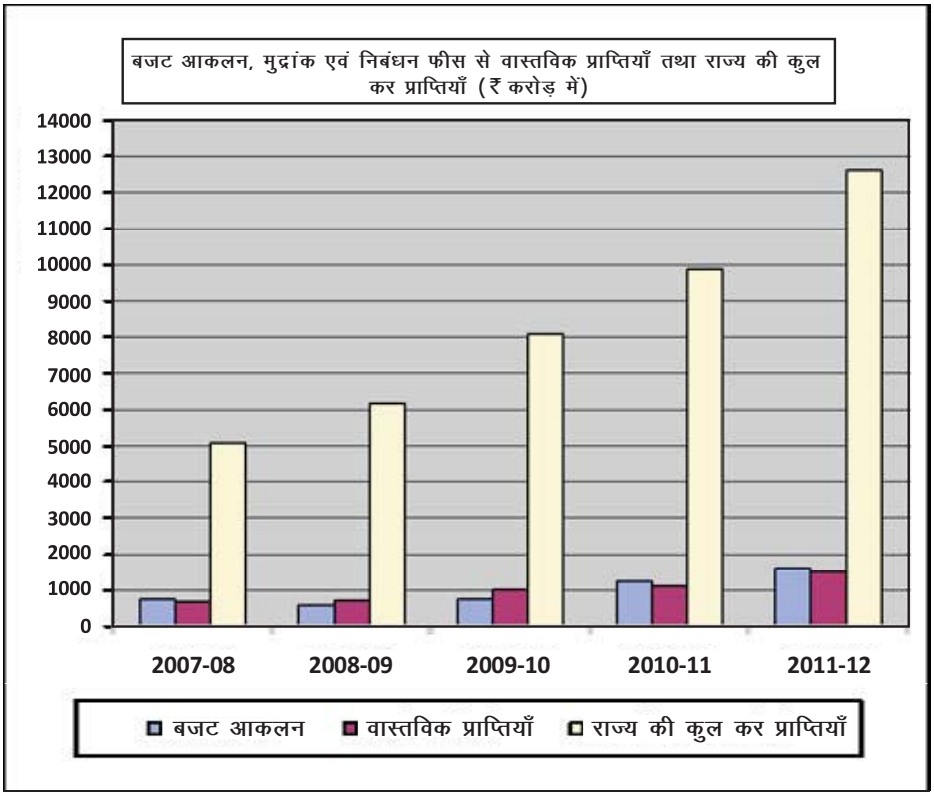

वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों (₹ 12,612.10 करोड़) में मुद्रांक और निबंधन फीस से प्राप्तियों का योगदान निम्न चार्ट दर्शाता है:

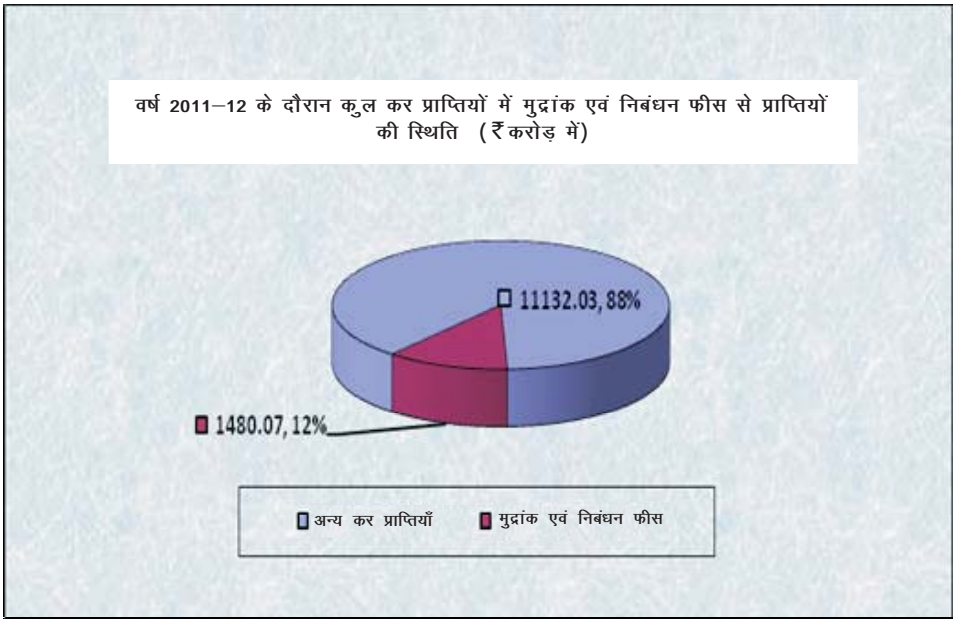

5.2.3 संग्रहण की लागत

मुद्रांक और निबंधन फीस के तहत् सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता

के साथ–साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2007–08	654.15	34.03	5.20	2.33
2008–09	716.19	37.68	5.26	2.09
2009–10	997.90	45.90	4.60	2.77
2010–11	1,098.68	46.58	4.24	2.47
2011–12	1,480.07	43.10	2.91	1.60

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान मुद्रांक और निबंधन फीस से संबंधित संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता पूर्व के वर्षों के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक था।

सरकार को आवश्यकता है कि आने वाले वर्षों में संग्रहण की लागत की प्रतिशतता को अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से नीचे रखने हेतु उचित कदम उठाए।

5.2.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

राजस्व प्रभाव

वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि के दौरान, हमने अपनी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से राजस्व का आरोपण नहीं/कम किये जाने, वसूली नही/कम किये जाने, राजस्व की हानि इत्यादि के 211 मामले, जिसमें ₹ 43.32 करोड़ के राजस्व शामिल थे, इंगित किए। विभाग/सरकार ने ₹ 37.81 करोड़ से सन्निहित 195 मामलों जिसमें वैसे मामले भी शामिल हैं जो पूर्व के वर्षों में इंगित किए गए थे, के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं मात्र ₹ 1.64 लाख की वसूली की। इसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2008–09	39	81	33.42	95	31.69	शून्य	शून्य
2009–10	31	92	6.88	86	5.33	2	1.64
2010–11	30	38	3.02	14	0.79	शून्य	शून्य
कुल	**100**	**211**	**43.32**	**195**	**37.81**	**2**	**1.64**

स्वीकृत मामलों में सन्निहित ₹ 37.81 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.64 लाख की नगण्य वसूली (0.04 प्रतिशत), सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की ओर से तत्परता का अभाव संसूचित करता है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि कम से कम स्वीकृत मामलों में, सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाये।

5.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान भू–राजस्व और मुद्रांक एवं निबंधन फीस से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच किया एवं 260 मामलों में ₹ 152.99 करोड़ के राजस्व की हानि/वसूली नहीं होने इत्यादि एवं अन्य त्रुटियों का पता लगाया, जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
क : भू–राजस्व			
1.	शर्तों एवं बंधेजों के उल्लंघन या लीज के उद्देश्यों में परिवर्तन के कारण नई लीज का अक्रियान्वयन	2	130.93
2.	सैरातों/गैरमजरूआ खास भूमि की बंदोबस्ती नहीं किये जाने के कारण हानि	27	3.21
3.	सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण से निष्कासन/बंदोबस्त नहीं किया जाना	2	4.53
4.	लीजों की नवीकरण नहीं किए जाने के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना	1	0.43
5.	सुरक्षित जमा शुल्क की कम वसुली	1	1.15
6.	निलामवाद का निष्पादन नहीं होने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध पड़ा रहना	2	0.28
7.	अन्य मामले	105	3.61
कुल		**140**	**144.14**
ख : मुद्रांक और निबंधन फीस			
1.	प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध पड़ा रहना	26	4.41
2.	जब्त मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध पड़ा रहना	9	0.22
3	अंतिम रूप से निष्पादित प्रेषित मामलों से सरकारी राजस्व की वसूली नहीं किया जाना	11	1.49
3.	अन्य मामले	74	2.73
कुल		**120**	**8.85**
कुल योग		**260**	**152.99**

(क) वर्ष 2011–12 के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 45 मामलों में सन्निहित ₹ 5.81 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, इनमें से ₹ 0.05 करोड़ से सन्निहित 10 मामले वर्ष के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे। वर्ष 2010–11 में विभाग ने एक मामले में ₹ 5000 की वसूली प्रतिवेदित की।

(ख) वर्ष 2011–12 के दौरान निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग ने 67 मामलों में सन्निहित ₹ 13.90 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, इनमें से ₹ 1.15 करोड़ से सन्निहित 23 मामले वर्ष के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 138.74 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं:

5.4 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

अपर/उपसमाहर्त्ता भू–राजस्व एवं जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से अधिनियम/नियमावली एवं विभागीय आदेशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा हुए इन चूकों को प्रत्येक वर्ष हमलोगों द्वारा इंगित किए जाते रहे हैं, परन्तु अनियमितताएँ न केवल निरन्तर होती रही बल्कि लेखापरीक्षा किए जाने तक इसका पता नहीं लगाया गया। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

क : भू–राजस्व

5.5 सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण से निष्कासन/बन्दोबस्ती नहीं किया जाना

बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 3 एवं 6 के प्रावधानों के तहत् यदि किसी व्यक्ति ने किसी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया हो तो बिहार सरकार एस्टेट (खास महाल) हस्तक, 1953 मे उल्लिखित नियमों के अनुसार उसे खाली करा सकती है अथवा वैसी भूमि के उपयोग के लिए लगान और क्षति का भुगतान करने पर उस व्यक्ति के साथ भूमि की बंदोबस्ती की जा सकती है। पुनः, नई खास महाल नीति 2011 के अनुसार वैसे बन्दोबस्तधारी को नया लीज लेना होगा और लीज की अवधि 30 वर्षों की होगी। बन्दोबस्तधारी, भूमि के बाजार मूल्य के समतुल्य सलामी और इसके अतिरिक्त भूमि का आवासीय और व्यवसायिक उपयोग हेतु ऐसी सलामी का क्रमशः 2 एवं 5 प्रतिशत वार्षिक लगान के भुगतान हेतु दायी होगा। लीज के वार्षिक लगान का भुगतान रोक देने/नहीं करने के मामलों में बन्दोबस्तधारी को पूर्व के वार्षिक लगान का दुगुना के साथ–साथ चूक अवधि के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भी भुगतान करना होगा।

- जून 2012 मे अपर समाहर्त्ता, पटना, के कार्यालय मे भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन और सार्वजनिक/खास महाल भूमि का अनाधिकृत दखल/अतिक्रमण से संबंधित संचिकाओं से हमने पाया कि वर्ष 1997–98 से 2005–06 के अवधि में संबंधित लीज, शर्तों के उल्लंधन के कारण, जैसा कि संबंधित लीज में वर्णित था, जैसे उद्देश्यों का बदलाव यथा कृषि से आवासीय, आवासीय से व्यवसायिक या विक्रय के द्वारा वर्तमान कब्जाधारी को अंतरित अधिकार देना, समाहर्त्ता, पटना (2006–08) के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर आयुक्त पटना/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को संसूचित करते हुए अपर समाहर्त्ता, पटना ने छः लीजधारियों का लीज निरस्त करने के लिये पत्र जारी किया। विभाग ने भी अपर समाहर्त्ता पटना को सभी लीजों को निरस्त करते हुए चूककर्त्ता लीजधारियों के विरूद्ध अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों के तहत् कार्रवाई करने का निदेश देते हुए पत्र निर्गत (2000–01 से 2009–10) किया। सरकार के स्पष्ट निदेशों के बावजूद न तो चूककर्त्ता को खास महाल भूमि से निष्कासित किया जा सका और न ही लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2012) तक लीजधारियों को पुनः भूमि बन्दोबस्त की गयी।

अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने अथवा भूमि को पुनः बन्दोबस्त करने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप सलामी[2] और लगान के रूप में ₹ 2.47 करोड़ की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त अर्थदण्ड एवं ब्याज भी आरोप्य है।

- जुलाई 2012 में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता (पूर्वी), मुजफ्फरपुर के कार्यालय में उनके भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन से हमने पाया कि 2.1435 हेक्टेयर खास महाल जमीन का एक टुकड़ा रिविजनल सर्वे खतियान (1962–63) में, जिला परिषद मुजफ्फरपुर के कर्मचारियों के लिए विश्रामगृह के रूप में दर्ज था। प्रमंडलीय आयुक्त से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अथवा सक्षम जिला प्राधिकारियों के साथ खास महाल जमीन का व्यवसायिक उपयोग के लिए कोई अनुबंध किए बिना उपरोक्त जमीन में से 43.16 डिसिमल जमीन पर अनाधिकृत रूप से 7 वर्ष पहले एक बहुमंजिला मिनाक्षी होटल का निर्माण किया गया था।

हमलोगों के लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता (पूर्वी), मुजफ्फरपुर ने कहा (सितम्बर 2012) कि इस कार्यालय द्वारा होटल निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी गई थी और जिला परिषद् के साथ–साथ मिनाक्षी होटल के मालिक को एक नोटिस निर्गत किया जा रहा था।

अतः खास महाल जमीन पर होटल के अवैध निर्माण को रोकने में विभाग विफल रहा जिसके फलस्वरूप उचित लीज का निष्पादन नहीं होने के कारण सलामी और लगान के रूप में ₹ 2.06[3] करोड़ की वसूली नहीं हुई।

फरवरी 2012 में, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पटना के कार्यालय में अतिक्रमण संबंधित पंजी एवं केस फाईल से हमने पाया कि वर्ष 2005–06 से 2007–08 के दौरान पटना सदर अंचल के लोहानीपुर क्षेत्र में 41.97 डिसमल सार्वजनिक भूमि (गैरमजरूआ[4] आम भूमि) पर चार व्यक्तियों ने पक्का मकान का निर्माण किया था। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता न्यायालय द्वारा दो मामलों में बेदखली का आदेश निर्गत (जनवरी 2006) किया गया था और अन्य मामलों में बेदखली के लिए केवल नोटिस निर्गत (जनवरी 2008) किया गया था। अतिक्रमणकारियों से सार्वजनिक भूमि को न तो खाली कराया गया और न ही कोई कार्रवाई किया जाना अभिलेख पर पाया गया (फरवरी 2012)।

मामले सरकार/विभाग को अक्टूबर 2012 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2013)।

---

2 सलामी का अर्थ है जमीन का वर्त्तमान बाजार मूल्य।

3 वर्ष 2011–12 अवधि के लिये जमीन के बाजार मूल्य की गणना ₹ 4,54,300 प्रति डिसिमल की दर से की गई है सलामी ₹ 1,96,07,588 + सलामी का 5 प्रतिशत की दर से लगानः ₹ 9,80,380 (कुल ₹ 2,05,87,968)

4 गैरमजरूआ जमीन का अर्थ है गैर कृषि योग्य भूमि जो सरकार के सीधे नियंत्रण में हो।

5.6 नई नीति 2011 के अन्तर्गत खास महाल भूमि का प्रबंधन

5.6.1 लीज के शर्तों एवं बंधेजों के उल्लंघन या उद्देश्य में परिवर्तन करने पर नई लीज का क्रियान्वयन नहीं किया जाना

बिहार में नई खास महाल नीति, 2011 के लागू होने के बाद उक्त नीति के शर्त 2(क) के अनुसार अगर कोई व्यक्ति खास महाल जमीन के लीज का नवीकरण नहीं कराता है और लीज हेतु वार्षिक लगान के भुगतान को बंद कर देता है अथवा लीज के शर्तों का उल्लंघन करता है या शर्त 5(क) के अनुसार लीज के उद्देश्य का विचलन करता है तो वह ट्रेसपासर समझा जाएगा और सरकार उसे 90 दिनों के निर्धारित समय के अंदर नए शर्तों एवं बंधेजों पर उसे नोटिस तामिल के साक्ष्य के साथ नया लीज करने का प्रस्ताव देगा। पुनः लीज की अवधि 30 वर्षो की होगी और लीजधारी भूमि के बाजार मूल्य के समतुल्य सलामी और उसके अतिरिक्त भूमि के आवासीय और व्यवसायिक उपयोग होने पर ऐसी सलामी का क्रमशः 2 एवं 5 प्रतिशत वार्षिक लगान का भुगतान करने हेतु दायी होगा। लीज के वार्षिक लगान का भुगतान बंद करने/भुगतान नहीं करने के मामलों में लीजधारी को पूर्व के वार्षिक लगान का दुगुना के साथ–साथ चूक अवधि के लिए 10 प्रतिशत के दर पर वार्षिक ब्याज का भी भुगतान करना होगा।

जून और जुलाई 2012 में खास महाल जमीन से संबंधित दो जिलों (पटना और मुजफ्फरपुर) के लीज अभिलेखों से हमने पाया कि 21 लीजधारियों ने जिनका लीज दस्तावेज वर्ष 1935–36 एवं उसके बाद क्रियान्वित हुआ था उन्होंने या तो लीज शर्तों का उल्लंघन किया या लीज के उद्देश्यों को परिवर्तित किया था, जैसे कि कृषि से आवासीय या आवासीय से वाणिज्यिक या सक्षम प्राधिकारियों के पूर्वानुमति के बिना जमीन को बेच दिया था अथवा वार्षिक लगान इत्यादि का भुगतान काफी समय से (फरवरी 1981) बंद कर दिया था। इन सभी मामलों में विभाग ने लीज को निरस्त नहीं किया तथा उसके बाद नया लीज नहीं किया, यद्यपि उन्होंने लीज शर्तो का उल्लंघन किया था, जिसके फलस्वरूप ₹ 130.93 करोड़ के सलामी और लगान की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त दण्ड लगान और ब्याज भी आरोप्य है। संबंधित अभिलेखों की सावधिक समीक्षा और नई लीज के क्रियान्यवन की कार्रवाई में विभाग की विफलता यह इंगित करता है कि लीज के शर्तो एवं बंधेजों को संरक्षित करने में आंतरिक अनुश्रवण नियंत्रण प्रणाली का अभाव था।

हमलोगों के लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद अपर समाहर्त्ता, पटना ने कहा (जून 2012) कि समुचित जाँच कर कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा, जबकि अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर ने कहा (जुलाई 2012) कि समुचित कार्रवाई करने हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता (पूर्वी) मुजफ्फरपुर को निर्देश दिया गया है। कार्रवाई प्रतिवेदन अभी भी प्रतिक्षित है (जनवरी 2013)।

5.6.2 खास महाल लीज का नवीकरण नहीं होने के कारण राजस्व का वसूली नहीं होना।

नई खास महाल नीति, 2011 के शर्त 1(क) के अनुसार यदि गैर–आवासीय और गैर–व्यवसायिक लीज के किसी शर्त एवं बंधेजों का उल्लंघन लीजधारी ने नहीं किया हो तो प्रत्येक 30 वर्ष की अवधि पूरी होने पर लीज के नवीकरण करने के समय भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य का पाँच प्रतिशत सलामी के रूप में तथा वार्षिक लगान, भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर भुगतान करना होगा।

जून 2012 में, अपर समाहर्त्ता, पटना के कार्यालय के लीज नवीकरण संचिकाओं एवं आवेदन पंजी से हमने पाया कि लीज के नवीकरण के तीन मामले लेखापरीक्षा की तिथि तक लंबित थे। ये आवेदन दो से सात वर्षों से लंबित थे जिसका राजस्व प्रभाव ₹ 43.24 लाख था। यह अपर समाहर्त्ता, पटना द्वारा आवेदनों के निष्पादन में तत्परता का अभाव दर्शाता है।

मामले सरकार/विभाग को अक्टूबर 2012 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2013)।

5.7 सैरातों का प्रबंधन

5.7.1 सैरातों[5] की बंदोबस्ती नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि

परिपत्र सं0 9/एस ए आई/7/4–7/2001/668 (क) दिनांक 1 अगस्त 2002 के अनुसार निविदा की तिथि निर्धारण के बाद स्थानीय समाचार पत्र में सैरात की बन्दोबस्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाना चाहिए। यदि कोई निविदादाता निविदा हेतु उपस्थित नहीं होता है तो समान प्रकिया तीन अवसरों पर अपनाना चाहिए और उच्चाधिकारियों के संज्ञान में मामलों को लाते हुए सैरात की बंदोबस्ती हेतु दिशानिर्देश एवं अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। तदनुसार सैरात की बंदोबस्ती का आदेश देना चाहिए।

पुनः राजस्व विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 2/आर ए/दिनांक 8 जनवरी 1982 के अनुसार सुरक्षित जमा प्रत्येक तीन साल पर पिछले वर्ष के सुरक्षित जमा या बंदोबस्ती राशि, जो भी अधिक हो, उसका 15 प्रतिशत वृद्धि कर निर्धारित किया जाएगा।

जून 2012 में अपर समाहर्त्ता, पटना के कार्यालय में सैरात संबंधित संचिकाओं/अभिलेखों से हमने पाया कि मोना सिनेमा के पीछे अवस्थित साईकिल/ स्कूटर/अन्य चार पहिया वाहनों के स्टैंड का एक सैरात, प्लौट संख्या 1,132 खेसरा संख्या 975, 997 तथा जो सदर अंचल, पटना के क्षेत्राधिकार में पड़ता है, 15 वर्षों (1996–97 से 2011–12) से अबन्दोबस्त था। वर्ष 1995–96 में सैरात की नीलामी ₹ 1.04 लाख में हुई थी जिससे केवल ₹ 72,700 की ही वसूली हुई थी। आगे यह भी पाया गया कि उच्चाधिकारियों के अनुमति के बिना सैरात पंजी से इस सैरात को बन्द (वर्ष 1996–97 से) कर दिया गया था और साथ ही इस सैरात को बंद किए जाने के कारण की जानकारी हेतु सैरात

[5] सैरात का अर्थ है मत्स्यपालन, हाट, मेला, तोड़ी, महाल तथा नौकायन को पट्टे पर दिये जाने से प्राप्त आय।

पंजी की समीक्षा किसी पदाधिकारी द्वारा कभी नहीं की गई थी। हालाँकि वर्ष 2009–10 एवं 2011–12 के बीच की अवधि के दौरान बिना नीलामी एवं उच्चाधिकारियों के अनुमोदन के बगैर विभागीय तौर पर मात्र ₹ 74,725 की राशि की वसूली हुई थी। इस प्रकार नीलामी के माध्यम से सैरात की बन्दोबस्ती नहीं किये जाने के फलस्वरूप सरकार को ₹ 23.74 लाख की हानि उठानी पड़ी; जिसकी गणना जनवरी 1982 के परिपत्र के अनुसार लागू सुरक्षित जमा के आधार पर की गई थी।

5.7.2 गाँधी मैदान के आरक्षण शुल्क की कम वसूली

विभागीय पत्र संख्या 363(9) दिनांक 11 जून 2008 के निर्देश के अनुसार गाँधी मैदान के आरक्षण के लिए धार्मिक गतिविधियों यथा प्रार्थना, नमाज, योग आदि हेतु ₹ 10,000 प्रतिदिन (पुरे मैदान के लिए और ₹ 5,000 प्रतिदिन आंशिक भाग के लिए) तथा अव्यवसायिक गतिविधियों हेतु ₹ 2 प्रति वर्गफीट के अनुसार राशि लिया जाना है। पुनः ₹ 0.05 प्रति वर्गफीट की दर से मैदान स्थल के सफाई हेतु राशि प्रभारित किया जाना है।

जून 2012 में अपर समाहर्त्ता,पटना के कार्यालय में, गाँधी मैदान आरक्षण से संबंधित संचिकाओं से हमने पाया कि वर्ष 2010–11 और 2011–12 के अवधि में प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार ने अव्यवसायिक गतिविधियों (5 घटनाऐं) जैसे शिक्षा दिवस, बिहार दिवस, पुस्तक मेला आदि के आयोजन हेतु गाँधी मैदान के आरक्षण के लिए समाहर्त्ता पटना को अनुरोध भेजा। समाहर्त्ता पटना ने निर्धारित दर पर आरक्षण शुल्क की माँगपत्र (फरवरी 2011 और मई 2012 के बीच) मानव संसाधन विकास विभाग को भेजा। जिसके विरूद्ध मात्र एक कार्यक्रम हेतु ₹ 5.41 लाख (अक्टूबर 2011 में) का भुगतान किया गया जबकि बाकी कार्यक्रमों के लिये ₹ 1.15 करोड़ का आरक्षण शुल्क वसूली हेतु लंबित था (जून 2012)।

मामले सरकार/विभाग को अक्टूबर 2012 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2013)।

5.7.3 सैरात के डाक राशि की कम वसूली

बिहार एस्टेट (खास महाल) हस्तक, 1953 के प्रावधानों के अनुसार सैरात की डाक राशि का 50 प्रतिशत बंदोबस्ती के समय तथा शेष 50 प्रतिशत सैरात अवधि की समाप्ति के दो माह पूर्व वसूली किया जाना चाहिए। अगर बंदोबस्तधारी ऐसा करने में विफल रहते हैं, तब सैरात को निरस्त करने की कार्रवाई किया जाना चाहिए और खुली डाक के माध्यम से नए निविदा आरंभ किया जाना चाहिए।

जुलाई 2012 में अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर कार्यालय में हाट/बाजार और घाट हेतु सैरात से संबंधित अभिलेखों से हमने पाया कि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में 41 सैरातों को ₹ 76.29 लाख में बंदोबस्त किया गया था और उक्त अवधि में ₹ 50.02 लाख संग्रहित किया गया था। इनमें से 26 बंदोबस्तधारियों ने ₹ 52.90 लाख के डाक राशि के विरूद्ध ₹ 26.63 लाख का आंशिक भुगतान किया था। सैरात अवधि समाप्त होने के पूर्व बंदोबस्तधारियों से शेष राशि की वसूली हेतु कोई प्रयास नही किया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 26.27 लाख के सैरातों की डाक राशि की कम वसूली हुई। समेकित सैरात पंजी भी संधारित नहीं था।

हमलोगों के लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर ने तथ्यों को स्वीकार किया (सितम्बर 2012) और कहा कि ₹ 34,200 की राशि की वसूली

कर ली गई है और 12 बंदोबस्तधारियों के विरूद्ध सितम्बर 2012 में माँग निर्गत किया गया था (सितम्बर 2012)। जिसमें माँग निर्गत किया गया था, उनकी वसूली एवं शेष मामलों में आगे की प्रगति हेतु हम प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2013)।

5.8 अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं होना

बिहार सरकार एस्टेट (खास महाल) हस्तक, 1953 के नियम 29 के अनुसार कचहरी कम्पाउण्ड में उन्हीं दुकानों को अनुज्ञा दिया जाना चाहिए जो न्यायिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों हेतु आवश्यक वस्तुओं जैसे नाश्ता, पान, तम्बाकु और लिखने की सामग्रियों की बिक्री करते हों। जिला पदाधिकारी को इन दुकानों को अनुज्ञा देने हेतु उचित तरीके से जैसा उचित समझे, आवेदन आमंत्रित किया जाना चाहिए। अनुज्ञा एक साल के लिए सीमित तथा अहस्तानांतरणीय होना चाहिए।

जुलाई 2012 में भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता (पूर्वी), मुजफ्फरपुर के कार्यालय में कचहरी कम्पाउण्ड में दुकानों की अनुज्ञा शुल्क संबंधित पंजी एवं अभिलेखों से हमने पाया कि बिहार एस्टेट (खास महाल) हस्तक, 1953 के परिशिष्ट 'क' (8) में निहित शर्तों एवं बंधेजों के अनुसार कचहरी कम्पाउण्ड में एवं उसके आसपास वर्ष 1979–80 से दुकानें बिना अनुज्ञा नवीकरण के और बिना अनुज्ञा शुल्क दिए चलाये जा रहे थे। विभाग ने चूककर्त्ता दुकान मालिकों से लंबित अनुज्ञा शुल्क वसूलने का और दुकानों की अनुज्ञा नवीकरण का कोई प्रयास नहीं किया था। इसके फलस्वरूप ₹ 52.69 लाख अनुज्ञा शुल्क अवसूलित था।

हमलोगों के लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, अपर समाहर्त्ता मुजफ्फरपुर ने कहा (जुलाई 2012) की भूमि सुधार उप समाहर्त्ता (पूर्वी), मुजफ्फरपुर को उचित कार्रवाई करने हेतु समुचित निदेश दिया जा रहा था।

मामले विभाग/सरकार को अक्टूबर 2012 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2013)।

खः मुद्रांक एवं निबंधन फीस

5.9 प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47 (क) के तहत् जब निबंधन प्राधिकारी को यह विश्वास होता है कि सम्पति के बाजार मूल्य की घोषणा दस्तावेज में सही नहीं की गई है तब उसे बाजार मूल्य निर्धारण हेतु समाहर्त्ता के पास प्रेषित कर सकता है। पुनः आयुक्त–सह–सचिव एवं निबंधन विभाग, के महानिरीक्षक, बिहार सरकार ने दिनांक 20 मई 2006 को सभी समाहर्त्ताओं को धारा 47(क) के तहत् प्रेषित मामलों को 90 दिनों में त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित निबंधन कार्यालय के निरीक्षकों को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

निबंधन प्राधिकारी (जिला अवर निबंधक, भोजपुर) द्वारा दिसम्बर 2011 एवं जुलाई 2012 के बीच उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं प्रेषित मामलों के पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि धारा 47(क) के तहत् वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के बीच सम्पत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु 27 मामले निबंधन कार्यालय के निरीक्षक, पटना को प्रेषित किए गए थे। पुनः, हमने पाया कि इन प्रेषित मामलों में से जून 2010 एवं जुलाई 2011 के बीच प्रेषित किए गए ₹ 21.49 लाख से सन्निहित 11 मामले निष्पादन हेतु अभी तक लंबित थे।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद जिला अवर निबंधक, भोजपुर ने जनवरी 2012 में कहा कि लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु निबंधन कार्यालय के निरीक्षक से अनुरोध किया जाएगा, जबकि निबंधन कार्यालय के निरीक्षक, पटना ने जुलाई 2012 में कहा कि कर्मियों एवं आधारभूत संरचना की कमी के कारण प्रेषित मामलों का निष्पादन समय पर नहीं किया जा सका। हाँलाकि विभाग का जबाव स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मामलों का निष्पादन 90 दिनों के भीतर किया जाना था।

इस प्रकार प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 21.49 लाख का सरकारी राजस्व अवरूद्ध रहा।

मामले सरकार/विभाग को अक्टूबर 2012 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2013)।

5.10 अन्तिम रूप से निष्पादित प्रेषित मामलों से सरकारी राजस्व की वसूली नहीं होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 48 प्रावधित करता है कि सभी शुल्क, अर्थदण्ड तथा अधिनियम के तहत् भुगतेय अन्य राशि की वसूली समाहर्त्ता द्वारा कुर्की से अथवा उस व्यक्ति के चल संपत्ति की बिक्री से, जिस पर यह बकाया है, अथवा उस समय भू–राजस्व के बकाये की वसूली हेतु लागू किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा हो सकती है। पुनः सचिव–सह–निबंधन महानिरीक्षक ने जनवरी 2007 में समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक/निबंधन कार्यालय के निरीक्षक/जिला अवर निरीक्षक को यह निर्देश जारी किया कि यदि संबंधित व्यक्ति अन्तिम रूप से निष्पादित प्रेषित मामलों में मुद्रांक शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो, एक सूचना जारी किया जाएगा और मुद्रांक एवं निबंधन फीस की वसूली हेतु स्थानीय समाचार पत्र में उसका नाम प्रकाशित करने के 30 दिनों के बाद लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत उसके विरूद्ध मामला दर्ज किया जाएगा।

निबंधन प्राधिकारी (जिला अवर निबंधक, सासाराम) द्वारा फरवरी 2012 में उपलब्ध कराये गए सूचनाओं एवं प्रेषित मामलों की पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि धारा 47 (क) के तहत् 2004–05 और 2011–12 के दौरान सम्पति के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु 22 मामले निबंधन कार्यालय के निरीक्षक, पटना को प्रेषित किए गये थे। इनमें से नौ मामले जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010 के दौरान निष्पादित किए गए थे तथा निबंधक कार्यालय के निरीक्षक द्वारा आरोपित जुर्माना सहित कमी मुद्रांक शुल्क के रूप में ₹ 36.64 लाख की राशि की वसूली की जानी थी। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार बकाये की वसूली हेतु आगे कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी। इस चूक के कारण लोक माँग वसूली अधिनियम के तहत् राजस्व वसूली निलामवाद की शुरूआत नहीं की गई और निबंधन शुल्क सहित ₹ 46.69 लाख की सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद, जिला अवर निबंधक, सासाराम ने फरवरी 2012 में कहा कि निबंधन कार्यालय के निरीक्षक से बकाये की वसूली हेतु सम्पर्क किया जाएगा। हाँलाकि, विभाग का मन्तव्य स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि लोक माँग वसूली अधिनियम के तहत् राजस्व वसूली निलामवाद दर्ज किया जाना चाहिए था और त्वरित वसूली हेतु कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

मामले सरकार/विभाग को जुलाई 2012 में प्रतिवेदित किए गए थे; हम उनके उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2013)।